न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी—श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :—71 / 2023

वादीनी	बनाम	प्रतिवादी
श्रीमति मदनकौर पत्नि मोहनराम जाति जाट निवासी बुडीवाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर		डायाराम के कायम मुकाम 1.अम्बादेवी पुत्री डायाराम पत्नि मदनलाल 2.शोभादेवी पुत्री डायाराम पत्नि धनराज 3.संतोषदेवी पुत्री डायाराम पत्नि कमलेश 4.सरसीदेवी पुत्री डायाराम पत्नि महादेव 5.सावित्रीदेवी पुत्री डायाराम पत्नि सुरेन्द्र 6.भूरीदेंवी पुत्री डायाराम पत्नि देवीलाल 7.उकीदेवी पत्नि डायाराम 8.ईश्वरकुमार पुत्र डायाराम 9.महेन्द्रकुमार पुत्र डायाराम 10.दिनेशकुमार पुत्र डायाराम जाति खारोल (खारवाल) निवासरी पचपदरा 11.राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक—14.07.2023

संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा जेरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 907/266 क्षेत्रफल 2.4288 हैक्टयर [illegible] मे प्रस्तुत वाद दिनांक 21.6.2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार [illegible] पक्षकारान का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने [illegible] अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके [illegible] विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:19:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे पक्षकारान की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा जेरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 907/266 क्षेत्रफल 2.4288 हैक्टयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म भूमि	लगान	बरंग/चिन्ह
1	मदनकौर पत्नि मोहनराम जाति जाट सा. बुडीवाडा खातेदार	जैरला	907/266	1.1331	बा.दो.	–	ए
2	अम्बादेवी , शोभादेवी, संतोषदेवी,सावित्रीदेवी, भूरीदेवी,पुत्रिया डायाराम उकी देवी पत्नि डायाराम ईश्वरकुमार पुत्र डायाराम कौम–खारवाल सा. पचपदरा (प्रतिवादी सं. 01 से 3 व 5 से 8)	जैरला	907/266	0.7284	बा.दो.	–	बी
3	सरसीदेंवी पुत्री डायाराम महेन्द्रकुमार दिनेशकुमार, पि.डायाराम कौम खारवाल सा. पचपदरा (प्रतिवादी सं. 4,9,10)	जैरला	907/266	0.3157	बा.दो.	–	सी
4	अम्बादेवी शोभादेवी संतोषदेवी,सरसीदेवी, सावित्रीदेवी,भूरीदेवी, पुत्रीया डायाराम उकीदेवी पत्नि डायाराम,ईश्वरकुमार महेन्द्रकुमार दिनेशकुमार पि. डायाराम कौम खारवाल सा. पचपदरा	जैरला	907/226	0.0890	बा.दो. (रास्ते हेतु)	–	डी

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तरदीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:19:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 14.07.2023 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.)बालोतरा

सहायक कलक्टर * बालोतरा *

मूलवाद में अंतिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—श्री विवेक व्यास,आर.ए.एस.

अनवान

वादीनी	बनाम	प्रतिवादी
श्रीमति मदनकौर पत्नि मोहनराम जाति जाट निवासी बुडीवाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर		डायाराम के कायम मुकाम 1.अम्बादेवी पुत्री डायाराम पत्नि मदनलाल 2.शोभादेवी पुत्री डायाराम पत्नि धनराज 3.संतोषदेवी पुत्री डायाराम पत्नि कमलेश 4.सरसीदेवी पुत्री डायाराम पत्नि महादेव 5.सावित्रीदेवी पुत्री डायाराम पत्नि सुरेन्द्र 6.भूरीदेंवी पुत्री डायाराम पत्नि देवीलाल 7.उकीदेवी पत्नि डायाराम 8.ईश्वरकुमार पुत्र डायाराम 9.महेन्द्रकुमार पुत्र डायाराम 10.दिनेशकुमार पुत्र डायाराम जाति खारोल (ख़ारवाल) निवासरी पचपदरा 11.राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार पचपदरा

[illegible] वाद बाबतः—53,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :71 / 2023
निर्णय दिनांक :—14.07..2023

वादीनी की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमावत की उपस्थिति एवं शेष प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 14.07.2023 को श्री विवेक व्यास (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**—वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 14.07.2023 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा [illegible] गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:19:57 IST
Reason: SelfAttested

(वि[illegible] व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	–	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	
जोड़	–	जोड़	------

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:19:57 IST
Reason: SelfAttested